न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्याः 14/2018 एल.आर. एक्ट (हनुमानगढ)

शारदा पत्नी श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी चक 11 एस.पी.डी. (बी) सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः 1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सुभाष सहू – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 28–01–2019**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 04–12–2017 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट को वर्तमान राजस्व तहसील पीलीबंगा के ग्राम बड़ोपल की रोही में खसरा नं. 1210 में 55.00 बीघा बरानी रकबा सन 1983 में तत्कालिन उपनिवेशन तहसीलदार सूरतगढ के आरजी आवटित रकबा था। आवटन पश्चात अपीलान्ट को मोके पर भोतिक रूप से उक्त कृषि भूमि का कब्जा दिया गया एवं आवटित रकबे का नवीनीकरण अपीलान्ट के पक्ष मे स्वीकार किया जाता रहा। दिनांक 4.8.2000 को उक्त रकबा अपीलान्ट को किमतन पुख्ता आवंटन स्वीकार किया गया। दिनांक 7.2.2008 को उक्त खसरा नं. 1210 में स्थित 55.00 बीघा बरानी रकबे की खातेदारी सनद प्रदान की गई। उक्त आवटन शुदा/खातेदारी रकबे का संबधित राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन भी हो चुका था। इस आदेश के विरूद्व रेस्पोडेन्ट ने उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ के संमक्ष प्रार्थना पत्र

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर उक्त भूमि ग्राम बड़ोपल के खसरा नं. 2974/1210 रकबा 13.622 हैक्टेयर निरस्त करने का किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा ने रेस्पोडेन्ट का धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम बड़ोपल के खसरा नं. 2974/1210 रकबा 13.622 हैक. निरस्त करने के आदेश दिये गये जिसके विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. उक्त आदेश के विरूद्व यह अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मिमो पर अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए बहस के दौरान कंहा कि वर्तमान राजस्व तहसील पीलीबंगा के ग्राम बड़ोपल की रोही में खसरा नं. 1210 में 55.00 बीधा बरानी रकबा सन 1983 में तत्कालिन उपनिवेशन तहसीलदार सूरतगढ के आरजी आवटित रकबा था। आवंटन पश्चात अपीलान्ट को मोके पर भोतिक रूप से उक्त कृषि भूमि का कब्जा दिया गया उसके बाद अपीलान्ट ने मौके पर काश्त की,एवं भिन्न –भिन्न अधिकारियो ने आवटित रकबे का नवीनीकरण अपीलान्ट के पक्ष मे स्वीकार किया जाता रहा। उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ द्वारा दिनांक 4.8.2000 को उक्त रकबा अपीलान्ट को किमतन पुख्ता आवंटन स्वीकार किया गया। दिनांक 7.2.2008 को उक्त खसरा नं. 1210 में स्थित 55.00 बीधा बरानी रकबे की खातेदारी सनद प्रदान की गई। उक्त आवटन शुदा/खातेदारी रकबे का संबधित राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन भी हो चुका था। रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के संमक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर उक्त हैक्टेयर रकबा को निरस्त करने का किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र गलत रूप से स्वीकार कर लिया। अगर कोई कार्यवाही सैक्शन 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट में पेश होती है तो केवल लिपिकीय भूल ही दुरस्त की जा सकती है, तथा दोनो पक्षकारो की सहमति से आदेश पारित किया जा सकता है, हमारी सहमति नही थी। अधीनस्थ न्यायालय में पूरी सुनवाई नही हुई अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 13.10.2017 की ओडर शीट पर वास्ते साक्ष्य हेतु

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

रखी जाकर आगामी दिनांक 4.12.2017 निश्चित की गई और दिनाक 4. 12.2017 को सीधा निर्णय कर दिया। अपीलान्ट को सन 1983 मे हुवे आवटित रकबे को केवल संदेह के आधार पर रकबा निरस्त नही किया जा सकता। इसके लिए उनको दावा ही करना पड़ेगा। पटवारी ने सीधे खातेदारी दर्ज करदी उसी के देखादेख हमारे प्रकरण मे फैसला कर दिया, अगर आवटन गलत है तो आर.ए.ए. मे अपील कर देते । रेस्पोडेन्ट यदि उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के आदेश दिनांक 4.8. 2000 को चुनौति देना चाहता था तो वह संक्षम न्यायालय में चाराजोही कर उक्त आदेश को चुनौति दे सकता था। अगर आवटन रकबा मे नाम गलत दर्ज हो गया तो नाम हटा देते लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने तो प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 पर अपीलान्ट का रकबा ही निरस्त कर दिया जो गलत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 04–12– 2017 को निरस्त फरमाया जावे। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 2008 पृष्ठ 34, RRD 1994 पृष्ठ 505, RRD 2016 पृष्ठ 394, LR ACT Sec 136, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस कर कहा कि ग्राम बड़ोपल की जमाबन्दी सम्वत 2062 से 65 में खाता सं. 199 पर काल्पनिक रूप से दर्ज किया गया है। जो वर्तमान जमाबन्दी के खाता सं. 380 पर दर्ज है। पटवारी द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकरी के आदेश के बिना रकबा रिकार्ड मे दर्ज करने पर पटवारी के खिलाफ कार्यवाही चल रही है, खातेदारी के बाद इन्तकाल दर्ज नही है समस्त हवाई कार्यवाही की गई हे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04–12–2017 सही है, अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया। उपलब्ध दस्तावेजात, पत्रावलियों एवं न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है :–

अपीलान्ट ने अपील में मुख्य रूप से यह आधार लिया कि उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ द्वारा दिनांक 4.8.2000 को रकबा अपीलान्ट को किमतन पुख्ता आवंटन किया गया, दिनांक 7.2.2008 को उक्त खसरा

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नं. 1210 में स्थित 55.00 बीधा बरानी रकबे की खातेदारी सनद प्रदान की गई। उक्त आवटन खातेदारी रकबे का राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन भी हो चुका था, जिसको निरस्त नही किया जा सकता।

न्यायालय के अनुसार जिस पटवारी द्वारा अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया गया वो किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से दर्ज नही किया गया है, उस पटवारी के खिलाफ पुलिस थाना पीलीबंगा मे विभिन्न धाराओ मे मुकदमा दर्ज है तथा इस संबध में जिला कलैक्टर नोहर की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित की गई, कमेटी की जांच में भी माना गया की पटवारी ने अपने स्तर पर बिना आधार के खाते कायम कर दिये। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हम किसी प्रकार की त्रुटि नही मानते है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04–12–2017 को यथावत रखा जाता है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 28–01–2019 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।